



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245132
CG-DL-E-12042023-245132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1619]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945

No. 1619]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

का.आ. 1698(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3575(अ) तारीख 27.07.2022, का.आ. 2222(अ) तारीख 12.05.2022, का.आ. 561(अ) तारीख 03.02.2022 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में श्रीकाकुलम-अनूगुल पाइपलाइन (एस ए पी एल) और स्पर पाइप लाईन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

श्रिकाकुलम –अनगुल पाईपलाईन					
(स्पर गैस पाईप लाइन)					
भूमि अनुसूची					
जिला-रायगडा		राज्य : ओडिशा			
तहसील का नाम	गाँव का नाम-थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
गुनुपुर	नौरा-17	236	00	03	03
गुनुपुर	रेगेरा-165	608/1	00	78	19
		312/3	00	04	31
		321	00	00	01
		335	00	05	51
गुनुपुर	खंबा गुरा-168	8	00	24	04
		4	00	05	57
		2	00	15	12
गुनुपुर	पगारबिली-158	409	00	09	80
गुनुपुर	रेंगल पादर-157	289	00	04	42
		82	00	00	09
		91	00	11	87
गुनुपुर	सिरिझोली-156	295	00	00	20
		278	00	22	74
गुनुपुर	दसमनतापुर-139	160	00	08	99
		117	00	25	47
रामानागुडा	हरुगुरा-135	65	00	41	97
		53	00	05	32
		54	00	04	64
		56	00	02	89
		37	00	09	38
रामानागुडा	ओमडिंग-82	317	00	23	01
		318	00	48	05
		308	00	29	19
		105	00	28	44
		17	00	01	73
		93	00	11	82
रामानागुडा	जारलिंग-87	354	00	05	85

तहसील का नाम	गाँव का नाम-थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
रामानागुडा	सुलुरी-101	89	00	16	11
		90	00	18	32
		39	00	00	23
रामानागुडा	कतकी-100	146/1	00	18	36
कोलनारा	मुरतेली-387	18	00	03	49
		42	00	14	93
कोलनारा	पंडरूताला-386	642/697	00	09	36
कोलनारा	किनेरमेडा-384	50	00	04	62
कोलनारा	सरब गुरा-355	10	00	11	86
कोलनारा	कैलासपुर-352	192/1	00	09	22
		150	00	13	17
कोलनारा	जम्बालीलीबारी-314	186/4	00	18	56
कोलनारा	गुयाकाना-80	72	00	06	33
कोलनारा	रेंगलापद-81	175	00	28	25
रायगडा	मंन्त्रीझोली-79	24	00	07	73
रायगडा	काटागुरा-91	165	00	00	73
		159	00	14	53
रायगडा	कंपामालीगन-93	74	00	09	58
		23	00	05	43
		24	00	08	47
		16	00	01	60
रायगडा	कटापेटा-98	107	00	02	83
		60/1	00	02	08
		217/1	00	01	51
रायगडा	कतलागुरा-142	49	00	44	54
रायगडा	जापाखल-122	220	00	32	95
रायगडा	देओमुलासंकेसी-123	5	00	00	24
रायगडा	जारीघाटी-450	32/99	00	14	59
		32	00	17	83
रायगडा	लेलीबारी-452	52	00	15	59
रायगडा	कियापारु-435	201	00	31	73
जिला- कालाहांडी		राज्य : ओडिशा			
तहसील का नाम	गाँव का नाम-थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
लांजीगढ़	कालाकुपा -392	549	00	00	05
		556	00	03	93
		575	00	06	83

		391	00	01	43
		357	00	02	61
		248	00	02	73
		211	00	00	10
		256	00	05	72
		179	00	00	01
लांजीगढ़	मेलबहाली -119	11	00	07	54
		18	00	06	49
		119	00	19	29
लांजीगढ़	दंगाबहल -370	46	00	10	57
लांजीगढ़	फदुरुगुडा -369	12	00	00	01
लांजीगढ़	गांधीनी -367	51	00	02	68
लांजीगढ़	कदंबागुडा -240	215	00	00	64
लांजीगढ़	बलाभद्रापुर -243	77	00	00	17
लांजीगढ़	जगन्नाथपुर -238	620	00	00	95
जिला- कोरापुट		राज्य : ओडिशा			
तहसील का नाम	गाँव का नाम- थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
लक्ष्मीपुर	सिंगराम -4	409/1	00	05	77
लक्ष्मीपुर	खालाकाना - 13	95	00	20	02
लक्ष्मीपुर	निसर -43	308/1	00	09	30
लक्ष्मीपुर	रौलीपादर -51	551	00	08	86
लक्ष्मीपुर	तायापुट -54	90	00	04	32
लक्ष्मीपुर	काकिरीगुमा - 74	311	00	05	74
		657	00	05	97
		750	00	01	95
लक्ष्मीपुर	कपीसीपुट -94	398	00	03	04

[फा. सं. एल-14014/3/2022-जीपी-II (ई-41346)]

राकेश मिश्रा, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2023

S.O. 1698(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 3575(E) dated 27.07.2022, S.O. No. 2222(E) dated 12.05.2022 and S.O. No. 561(E) dated 03.02.2022 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Srikakulam-Angul Pipeline (SAPL) & Spur pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE					
(SPUR GAS PIPE LINE)					
LAND SCHEDULE					
District- Rayagada		State-Odisha			
Name of Tahasil	Name of Village-Thana No	Survey no.	Area		
			Hector	Are.	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Gunupur	Naura-17	236	00	03	03
Gunupur	Regera-165	608/1	00	78	19
		312/3	00	04	31
		321	00	00	01
		335	00	05	51
Gunupur	Khamba Gura-168	8	00	24	04
		4	00	05	57
		2	00	15	12
Gunupur	Pagarabili-158	409	00	09	80
Gunupur	Rengal Padar-157	289	00	04	42
		82	00	00	09
		91	00	11	87
Gunupur	Sirijholi-156	295	00	00	20
		278	00	22	74
Gunupur	Dasamantapur-139	160	00	08	99
		117	00	25	47
Ramanaguda	Harugura-135	65	00	41	97
		53	00	05	32
		54	00	04	64
		56	00	02	89
		37	00	09	38
Ramanaguda	Omading -82	317	00	23	01
		318	00	48	05
		308	00	29	19
		105	00	28	44
		17	00	01	73
		93	00	11	82
Ramanaguda	Jarling-87	354	00	05	85
Ramanaguda	Suluri-101	89	00	16	11

		90	00	18	32
		39	00	00	23
Ramanaguda	Kataki-100	146/1	00	18	36
Kolnara	Murtali-387	18	00	03	49
		42	00	14	93
Kolnara	Pandrutala-386	642/697	00	09	36
Kolnara	Kinermara-384	50	00	04	62
Kolnara	Sarab Gura-355	10	00	11	86
Kolnara	Kailaspur-352	192/1	00	09	22
		150	00	13	17
Kolnara	Jambalilibari-314	186/4	00	18	56
Kolnara	Guakana-80	72	00	06	33
Kolnara	Rengalapad-81	175	00	28	25
Rayagada	Mantrijholi-79	24	00	07	73
Rayagada	Katagura-91	165	00	00	73
		159	00	14	53
Rayagada	Kampamaligan-93	74	00	09	58
		23	00	05	43
		24	00	08	47
		16	00	01	60
Rayagada	Katapeta-98	107	00	02	83
		60/1	00	02	08
		217/1	00	01	51
Rayagada	Katlagura-142	49	00	44	54
Rayagada	Japakhal-122	220	00	32	95
Rayagada	Deomulasankesi-123	5	00	00	24
Rayagada	Jarighati-450	32/99	00	14	59
		32	00	17	83
Rayagada	Lelibari-452	52	00	15	59
Rayagada	Kiaporu-435	201	00	31	73
District- Kalahandi		State-Odisha			
Lanjigarh	Kalakupa-392	549	00	00	05
		556	00	03	93
		575	00	06	83
		391	00	01	43
		357	00	02	61
		248	00	02	73
		211	00	00	10
		256	00	05	72
		179	00	00	01
Lanjigarh	Melbahali-119	11	00	07	54
		18	00	06	49
		119	00	19	29
Lanjigarh	Dangabahal-370	46	00	10	57
Lanjigarh	Faduruguda-369	12	00	00	01
Lanjigarh	Gandhini-367	51	00	02	68
Lanjigarh	Kadambaguda-240	215	00	00	64
Lanjigarh	Balabhadrapur-243	77	00	00	17
Lanjigarh	Jagannathpur-238	620	00	00	95

District- Koraput		State-Odisha			
Laxmipur	Singaram-4	409/1	00	05	77
Laxmipur	Khalakana-13	95	00	20	02
Laxmipur	Nisar-43	308/1	00	09	30
Laxmipur	Raulipadar-51	551	00	08	86
Laxmipur	Tayaput-54	90	00	04	32
Laxmipur	Kakiriguma-74	311	00	05	74
		657	00	05	97
		750	00	01	95
Laxmipur	Kapisiput-94	398	00	03	04

[F. No. L-14014/3/2022-GP-II (E-41346)]

RAKESH MISHRA, Dy. Secy.